

यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकर)

UJVNL LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून-248 006 (उत्तराखण्ड), दूरभाष: 0135-2761485, फैक्स: 0135-2761549
Office of the Managing Director, "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand), Phone: 0135-2761485, Fax: 0135-2761549
CIN No.U40101UR2001SGC025866

[ISO 9001:14001 Certified]

पत्रांक: ३१६२ /यूजेवीएनएल/०१/प्र०नि०/१०८८८ दिनांक: १३/८/२०२१

विषय: यूजेवीएन लिमिटेड में हड़ताल अवधि की एस०ओ०पी० के सम्बन्ध में।

महाप्रबन्धक (गंगा वैली/यमुना वैली/भागीरथी वैली/रामगंगा एवं शारदा वैली)

महाप्रबन्धक (लघु जल विद्युत/जानपद-अनुरक्षण/सी०डी०एच० एवं एन०पी०),

यूजेवीएन लिमिटेड।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या ८८१/१ (२)/२०२१-०५-१०७/२००३ दिनांक २७.०७.२०२१ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, १९६६ द्वारा निर्गमों में हड़ताल निषिद्ध की गयी है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में हड़ताल की स्थिति में विद्युत व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एस०ओ०पी० तैयार की गई है, जिससे किसी भी स्थिति में कार्य बाधित न हो पाए। उक्त एस०ओ०पी० की प्रति अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

मेरा ज्ञान और विचार (Comm.)
Date: (१३.८.२१) (दिव्विजय सिंह)
Diary No.: १११२१
महाप्रबन्धक (एम०डी०-ओ०)

प्रतिलिपि :- प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रतिलिपि निम्न को इस अनुरोध से प्रेषित है कि एस०ओ०पी० को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित करने का कष्ट करें:-

1. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), यूजेवीएन लिं।
2. अधिकारी निदेशक (विभागीय/जानपद/मार्ग) यूजेवीएन लिं।
3. अधिकारी निदेशक (ओ०एण्डएम०), यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध से प्रेषित है कि इसकी प्रति निगमीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड।
5. वरिष्ठ सिधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड।

DGM (IT)
for immediate necessary
action

EE (12)
pl. upload
OFFICE OF ED (O&R)

Diary No. 19 Date: 18-8-2021


18/08/21


पंजीकृत कार्यालय: "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून - 248 006 (उत्तराखण्ड), दूरभाष: 0135-2763808, फैक्स: 0135-2763508. Regd. Office: "UJJWAL", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006(Uttarakhand), Phone: 0135-2763808, Fax: 0135-2763508. Website: www.ujvnl.com

यूजेवीएन लिमिटेड से हड्डताल अवधि के लिये एस0ओ0पी0

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा वृहद्ध, मध्यम एवं छोटे कुल 17 विद्युत गृहों का परिचालन विद्युत उत्पादन हेतु किया जा रहा है। इन विद्युत गृहों के हड्डताल अवधि में सुचारू रूप से संचालन हेतु न्यूनतम लगभग 45 सहायक अभियन्ता, 60 अवर अभियन्ता, 80 टी0जी0-II (विंश वर्ष यॉ०) तथा लगभग 185 अन्य कार्मिकों की आवश्यकता रहेगी।

1. सभी महाप्रबन्धक विद्युत गृहों के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगे। प्रबन्ध निदेशक व निदेशक (परिचालन) के सम्पर्क में रहेंगे व विद्युत गृहों पर कड़ी निगरानी करेंगे।
2. विद्युत गृहों, बाँधों एवं बैराज पर तैनात समस्त उप महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता अपने अपने स्तर से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक को हड्डताल होने की पूर्व सूचना प्रैषित करेंगे, जिसमें हड्डताल पर जाने वाले संगठनों के नाम आदि का विवरण सम्मिलित रहेगा। प्रत्येक विद्युत गृह पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के टेलिफोन नम्बर की सूची रखी जायेगी।
3. उपरोक्त समस्त उप महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से विद्युत गृहों, बाँधों एवं बैराजों की सुरक्षा हेतु कमान्डेन्ट, होमगार्ड को हड्डताल की सूचना सहित वाँछित होमगार्ड की संख्या के बारे में सूचित करेंगे व हड्डताल से एक दिन पूर्व वाँछित होमगार्ड की सम्बन्धित विद्युत गृहों, बाँधों एवं बैराजों पर तैनाती सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रत्येक विद्युत गृह की अतिआवश्यक प्रणाली यथा ड्रेनेज, डिवाटरिंग सिस्टम, डी0जी0 सेट आदि के संचालन हेतु उप महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता आई0टी0आई0 प्रशिक्ष्याओं की तैनाती हेतु जनपद के आई0टी0आई0 प्रधानाचार्य से लिखित में अनुरोध करेंगे तथा हड्डताल शुरू होने से 03 दिन पूर्व आई0टी0आई0 प्रशिक्ष्याओं को विद्युत गृह पर बुलाकर इन प्रणालियों के परिचालन के लिये अवगत करायेंगे, जिससे प्रशिक्ष्य इन प्रणालियों से भिज्ञ हो सके व सुरक्षित संचालन कर सके।
5. हड्डताल शुरू हो जाने पर आई0टी0आई0 प्रशिक्ष्याओं को ड्रेनेज/डिवाटरिंग सिस्टम को हर हाल में चालू रखने के लिये व अन्य आवश्यक प्रणालियों के संचालन हेतु तैनात किया जायेगा। प्रत्येक विद्युत गृह पर उन आईटीआई एप्रैन्टिस के नाम पतें व टेलीफोन नम्बर रखें जायेंगे जिन्होने विद्युत गृह पर एक वर्ष की एप्रैन्टिस की है। उन आईटीआई एप्रैन्टिस को हड्डताल अवधि में आवश्यक कार्य हेतु बुलाया जायेगा।
6. उपस्थित विभागीय कर्मचारियों की सहायता से मशीनों से उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा, सी०पी०एस०यू० व Contractors आदि के कार्मिकों की सहायता से सामान्य रूप से उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा, परन्तु यदि समस्त कर्मचारी हड्डताल पर जाते हैं और यह आंकलन कर लिया जाता है कि मशीनों के संचालन हेतु पर्याप्त कार्मिक किसी भी तरह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हों तो अत्यधिक सतर्कता बरतते हुये सुरक्षित उत्पादन सुनिश्चित किया जाये। मशीनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।


CM (M)


M.V.


GM (G)

7. हड्डताल शुरू होने से पूर्व परिकल्प व अन्य कार्यालयों में तैनात अधिशासी अभियन्ताओं/सहायक अभियन्ताओं व अवर अभियन्ताओं की तैनाती विद्युत गृह पर किये जाने सम्बन्धी लिखित आदेश निगम (एच आर विभाग) द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरीक्त अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता तैनात किये गये विद्युत गृहों पर हड्डताल आरम्भ होने से पूर्व पहुँच जायें व विद्युत गृहों की मशीनों, प्रणालियों से भिज्ञ हों।
8. हड्डताल की अवधि में जानपद अनुरक्षण से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को बैराज/डेम के परिचालन हेतु तैनाती आदेश निगम (एच आर विभाग) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
9. हड्डताल में शामिल न होने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सम्बन्धित थाना व पुलिस चौकी से सम्पर्क कर पुलिस सुरक्षा दिये जाने की व्यवस्था सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।
10. विद्युत गृह पर उपलब्ध डी०जी० सेट के संचालन के लिये आवश्यक मात्रा में डीजल की व्यवस्था हड्डताल शुरू होने से पूर्व सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।
11. शिफट ड्यूटी हेतु संचालित शिफट ड्यूटी वाहन के संचालन हेतु चालक की व्यवस्था उपनल इत्यादि के माध्यम से सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।
12. विद्युत गृह की स्टेशन ऑफिसरी सप्लाई के लिये तकनीशियन/एस०बी०ओ० की व्यवस्था उपनल के माध्यम से करने हेतु सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता द्वारा तीन दिन पूर्व कार्यवाही पूरी की जायेगी।
13. कालोनी में पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाने हेतु पम्प ऑपरेटर की व्यवस्था सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपनल के माध्यम से की जायेगी।
14. सम्बन्धित विद्युत गृहों पर कार्य करने वाले ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनसे आवश्यकतानुसार कार्मिकों को लिया जायेगा जो विद्युत गृह से परिचित हों।
15. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व में अवकाश पर गये अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश से वापस बुलाया जायेगा।
16. विद्युत गृह/कालोनी के लिये 33 के०वी०/11 के०वी० लाईनों की Healthiness, हड्डताल आरम्भ होने की प्रस्तावित तारीख से पूर्व, सुनिश्चित की जायेगी।
17. उप महाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता विद्युत गृह के नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी करेंगे।
18. उत्पन्न दोष को दूर करने के लिये मूल निर्माता जैसे बी०एच०ई०एल०/एन्ड्रिज/एलस्टोम आदि से सपोर्ट (Support) प्राप्त किया जायेगा।

GM(RSV)

GM(BY)

GM(Y.V)

2

19. बाँध एवं बैराज के संचालन हेतु सिंचाई विभाग से लिखित में एवं फोन पर बात कर सपोर्ट (Support) प्राप्त किया जायेगा।
20. हड्डताल की प्रस्तावित तिथि से पूर्व समस्त टेलीफोन की Healthiness सुनिश्चित की जायेगी, जिससे Communication आसानी से हो सके।
21. नदी में पानी छोड़ने से पूर्व साझरन आदि बजाया जायेगा तथा आसपास निवास करने वाली आबादी को सूचित किया जायेगा, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो।
22. उज्जवल मुख्यालय पर एक कन्ट्रोल रूम 24 घण्टे कार्य करेगा, जिसमें उपमहाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी समन्वय रथापित करेंगे।

इछाड़ी बाँध



1. इछाड़ी बाँध में जल स्तर 641.00 मीटर से 644.75 मीटर तक मेनटेन किया जायेगा। इसके लिये स्पिलवे गेटों को उठाना पड़ सकता है।
2. टोंस नदी के पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 पी०पी०एम० से अधिक हो जाने पर छिबरो विद्युत गृह को अवगत कराया जायेगा। छिबरो विद्युत गृह की मशीनों के बन्द हो जाने के उपरान्त बाँध के रेडियल गेट्स आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे।
3. टोंस नदी का डिस्चार्ज 1000 क्यूमेक्स से अधिक होने पर छिबरो विद्युत गृह को अवगत कराकर बाँध के रेडियल गेट्स खोल दिये जायेंगे।

छिबरो विद्युत गृह

1. टोंस नदी के पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 पी०पी०एम० से अधिक होने पर विद्युत गृह की सभी मशीनों को बन्द कर दिया जायेगा। विद्युत गृह को पुनः तभी चलाया जायेगा जब पी०पी०एम० 3000 से नीचे आ जाये।
2. टोंस नदी का डिस्चार्ज 1000 क्यूमेक्स से अधिक होने पर विद्युत गृह की सभी मशीनों को बन्द किया जायेगा। छिबरो आउटलेट गेट्स को डाउन कर दिया जायेगा ताकि नदी का आर०बी०एम० 10 टनल के अन्दर प्रवेश न कर सके।

खोदरी विद्युत गृह

1. बरसात के दौरान डाकपत्थर बैराज में पानी का जल स्तर 1494 फिट से अधिक नहीं होने दिया जायेगा।
2. पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 से अधिक होने पर ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल विद्युत गृह को सूचित करते हुये एच०आर०टी० के सभी गेट्स डाउन कर दिये जायेंगे तथा रिवर साईड के गेट्स को नदी में उपलब्ध डिस्चार्ज के अनुसार खोला जायेगा। विद्युत गृह पुनः तभी चालू किये जायेंगे जब पी०पी०एम० 3000 से नीचे आ जायेगा।



डाकपत्थर बैराज

- बरसात के दौरान डाकपत्थर बैराज में पानी का जल स्तर 1494 फिट से अधिक नहीं होने दिया जायेगा।
- पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 से अधिक होने पर ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल विद्युत गृह को सूचित करते हुये एच0आर0टी0 के सभी गेट्स डाउन कर दिये जायेंगे तथा रिवर साईड के गेट्स को नदी में उपलब्ध डिस्चार्ज के अनुसार खोला जायेगा। विद्युत गृह पुनः तभी चालू किये जायेंगे जब पी0पी0एम0 3000 से नीचे आ जायेगा।

ढकरानी, ढालीपुर एवं कुल्हाल विद्युत गृह




- तीनों विद्युत गृहों की मशीनों से विद्युत उत्पादन को डाकपत्थर बैराज द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे डिस्चार्ज के अनुरूप रेगुलेट किया जायेगा।

आसन बैराज

- बरसात के दौरान आसन बैराज का जलस्तर 400.8 मीटर से अधिक नहीं रखा जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर नदी साईड के गेट उठाकर पानी छोड़ा जायेगा।
- पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 पी0पी0एम0 से अधिक होने पर कुल्हाल विद्युत गृह को सूचित करते हुये एच0आर0टी0 गेट्स को डाउन कर रिवर साईड के गेट्स को आवश्यकतानुसार खोल दिया जायेगा। पुनः विद्युत गृह तभी चालू किया जायेगा जब पी0पी0एम0 3000 से नीचे आ जाये।

वीरभद्र बैराज, पशुलोक ऋषिकेश

- वीरभद्र बैराज का संचालन एफ0आर0एल0 336.50 मी0 तथा एम0डी0डी0एल0 333.00 मी0 जल स्तर के मध्य रखा जायेगा।
- पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 पी0पी0एम0 से अधिक हो जाने पर चीला विद्युत गृह को सूचित किया जायेगा। एच0आर0टी0 गेट्स बन्द करने के साथ-साथ बैराज के अण्डरस्लूस व अदर बे गेट्स खोले जायेंगे तथा चीला विद्युत गृह को अवगत कराया जायेगा।
- इसी प्रकार गंगा नदी में 3000 क्यूमीक्स से अधिक डिस्चार्ज होने की दशा में चीला विद्युत गृह बन्द करवाकर बैराज के नदी साईड वाले गेट्स खोल दिये जायेंगे, जिससे नहर व विद्युत गृह सुरक्षित रहें।
- बैराज पर 2.5 मी0 से अधिक हैड लॉस होने पर संरचनाओं की सुरक्षा हेतु एच0आर0टी0 गेट्स बन्द करें जायेंगे तथा बैराज के नदी साईड वाले गेट्स खोले जायेंगे तथा चीला विद्युत गृह को बन्द करने हेतु अवगत कराया जायेगा।

(
 GMCRSN  GMIBY  M(Y.V)  GMCGV)

चीला विद्युत गृह

- पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 पी०पी०एम० से अधिक होने पर समस्त मशीनें बन्द की जायेंगी।
- गंगा नदी में डिस्चार्ज 3000 क्यूमेक्स से अधिक होने पर समस्त मशीनें बन्द की जायेंगी।
- बैराज पर हैड लॉस 2.5 मी० से अधिक होने पर भी मशीनें बन्द की जायेंगी।
- चीला विद्युत गृह को पुनः तभी चालू किया जायेगा जब नदी में सिल्ट पी०पी०एम० 3000 से नीचे व नदी में जल प्रवाह 3000 क्यूमेक्स से नीचे आ जाये।

पथरी एवं मौहम्मदपुर विद्युत गृह

- विद्युत गृहों की मशीनों का संचालन अपर गंगा कैनाल में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा छोड़े जाने वाले पानी के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।


मनेरी भाली—प्रथम परियोजना


मनेरी बॉध


- मनेरी बॉध का जल स्तर सामान्यतः 1289.00 मीटर से 1294.50 मीटर तक रखा जायेगा। मानसून में बॉध का जलस्तर 1290.0 मीटर रखा जायेगा। इसे मेन्टेन करने के लिये स्पिलवे गेट खोलने पड़ सकते हैं।
- पानी में सिल्ट (गाद) की मात्रा 2000 पी०पी०एम० से अधिक होने की तिलोथ विद्युत गृह को अवगत कराया जायेगा। विद्युत गृह बन्द होने के उपरान्त बॉध के गेट्स खतरे का साइरन बजाकर आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे।
- मनेरी बॉध पर हैडलॉस 1.0 मीटर होने पर विद्युत गृह को बन्द करने हेतु अवगत कराया जायेगा तथा फ्लसिंग ली जायेगा।
- भागीरथी नदी में हाई फ्लॉड लेवल होने पर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/सी०डब्ल्यू०सी०/आपदा प्रबन्धन कार्यालय से एलर्ट जारी होने की पूर्व सूचना (मौसम पूर्वानुमान) पर नदी के डिस्चार्ज को अतिरिक्त सावधानी से मोनिटर किया जायेगा। डिस्चार्ज के बढ़ते हुये क्रम में होने पर मनेरी बांध द्वारा तिलोथ विद्युत गृह को सूचित किया जायेगा एवं पी०पी०एम० 2000 से अधिक होने पर तिलोथ विद्युत गृह की मशीनों को बन्द कर दिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार बांध के गेट खोले जायेंगे।

तिलोथ विद्युत गृह


- पानी में सिल्ट की मात्रा 2000 पी०पी०एम० से अधिक होने पर विद्युत गृह की सभी मशीनों को बन्द किया जाएगा।


GMCRSV


GMIBY


GM(Y,V)

5


GM(61)



- भागीरथी नदी का डिस्चार्ज के सापेक्ष टेलरेस जलस्तर 1118.80 मी० पार होने पर सभी मशीनों को बंद किया जाएगा। विद्युत गृह के टी०आर०सी० गेटों को डाउन किया जाएगा, ताकि नदी का आर०बी०एम० विद्युत गृह के अन्दर प्रवेश न कर सके।
- विद्युत गृह पुनः तभी चालू किये जायेंगे जब पी०पी०एम० 2000 से नीचे आ जायेगा।

मनेरी भाली-द्वितीय परियोजना
जोशियाड़ा बैराज

- जोशियाड़ा बैराज का जलस्तर 1104.00 मीटर से 1107.00 मीटर तक रखा जायेगा। मानसून के दौरान बैराज का अधिकतम जलस्तर 1106.00 मीटर तक ही रखा जायेगा।
- पानी में सिल्ट (गाद) की मात्रा 3000 पी०पी०एम० से अधिक हो जाने पर धरासू विद्युत गृह को अवगत कराया जायेगा। धरासू विद्युत गृह की मशीनों के बन्द हो जाने के उपरान्त जोशियाड़ा बैराज के रेडियल गेट आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे। पानी छोड़ने से पूर्व साइरन जरूर बजाया जायेगा, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो।
- भागीरथी नदी में हाई फ्लॉ लेवल होने पर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/सी०डब्ल्य०सी०/आपदा प्रबन्धन कार्यालय से एलर्ट जारी होने की पूर्व सूचना (मौसम पूर्वानुमान) पर नदी के डिस्चार्ज को अतिरिक्त सावधानी से मोनिटर किया जायेगा। डिस्चार्ज के बढ़ते हुये कम में होने पर जोशियाड़ा बैराज द्वारा धरासू विद्युत गृह को सूचित किया जायेगा एवं पी०पी०एम० 3000 से अधिक होने पर धरासू विद्युत गृह की मशीनों को बन्द कर दिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार रेडियल गेट खोले जायेंगे। विद्युत गृह पुनः तभी चालू किये जायेंगे जब पी०पी०एम० 3000 से नीचे आ जायेगा।
- जोशियाड़ा बैराज पर हैडलॉस 1.5 मीटर होने पर विद्युत गृह को बन्द करने हेतु अवगत कराया जायेगा तथा फ्लसिंग ली जायेगा।
- भागीरथी नदी में डिस्चार्ज 2000 क्यूमेक्स से अधिक होने पर धरासू विद्युत गृह को सूचित करते हुये बैराज के रेडियल गेट खतरे का साइरन बजाकर खोल दिये जायेंगे।

धरासू विद्युत गृह

- भागीरथी नदी के पानी में सिल्ट की मात्रा 3000 पी०पी०एम० से अधिक होने पर विद्युत गृह की सभी मशीनों को बन्द कर दिया जायेगा।
- धरासू विद्युत गृह के सभीप भागीरथी नदी का जलस्तर 830 मीटर से अधिक होने पर विद्युत गृह की सभी मशीनों को बन्द कर दिया जायेगा एवं टेलरेस के गेटों को डाउन कर दिया जायेगा, ताकि नदी का आर०बी०एम० विद्युत गृह के अन्दर प्रवेश न कर सके।

GM(RBV) GM(BV) GM(Y.V) GM(GV)

सामान्य बिन्दु

- बॉध/बैराज से पानी छोड़ने से पूर्व साइरन बजाया जायेगा एवं आपदा नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जायेगा। बॉध व बैराज के डाउनस्ट्रीम में वाहन से पब्लिक एड्रेस सिस्टम से समीपस्थ लोगों को अलर्ट करने के लिये एनाउन्समेंट कराया जायेगा।

Broadcasting in Local TV Channels

- मानसून अवधि में 3 माह (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) के लिये लोकल टेलीविजन पर नदी में न जाने व जानवरों को न ले जाने हेतु हिदायत देने के लिये जागरूकता संदेश का प्रसारण (Periodical announcement) किया जायेगा, ताकि कोई जनहानि न हो।

शारदा विद्युत गृह

- हड्डताल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जायेगा, ताकि वे आवश्यकतानुसार शारदा मुख्य नहर के पानी की आपूर्ति करें एवं बाईपास गेट खोलने एवं बंद करने की व्यवस्था करें।
- मशीनों के बन्द होने की रिथति में डिप्यूजर वाल्व खोलने व बन्द करने हेतु आई0टी0आई0 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर तैनाती की जायेगी। यदि किसी कारण से डिप्यूजर न खुले तो शक्ति नहर पर राईट साईड में स्थापित बाईपास गेट उठाये जायेंगे, जिससे पानी बाईपास हो सके।
- हड्डताल अवधि के दौरान एन0एच0पी0सी0 टनकपुर विद्युत गृह से अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात करने हेतु सहयोग लिया जायेगा।

(जीए एस0 बुदियाल)

महाप्रबन्धक (रामगगा एवं शारदा)

(मो0 गुलफिशाँ)

महाप्रबन्धक (भागीरथी वैली)

(पंकज कुलश्रेष्ठ)

महाप्रबन्धक (गंगा वैली)

(विपेन सिंघल)

महाप्रबन्धक (यमुना वैली)

(पुरुषोत्तम सिंह)
निदेशक (परिचालन)

समय-समय पर कर्मचारी संगठनों द्वारा आन्दोलन/हड़ताल किये जाने की स्थिति में
नियम स्तर पर अपनायी जाने वाली ड्राफ्ट SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) A

मानव संसाधन विभाग द्वारा कार्यवाही :-

- 1— आन्दोलन/हड़ताल की अवधि में विद्युत गृहों/बैराजों/डैमों के परिचालन को सुचारू रखने एवं विद्युत गृहों/कार्यालयों एवं कार्मिकों की सुरक्षा बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश जारी करना।
- 2— आन्दोलन/हड़ताल में भाग लेने वाले कार्मिकों को किसी तरह का अवकाश स्वीकृत न किये जाने तथा आन्दोलन में भाग लेने वाले कार्मिकों पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धान्त पूर्णतः लागू करने हेतु पत्र जारी करना।
- 3— अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन कार्यक्रम हेतु जिस कार्मिक द्वारा अवकाश लिया जायेगा/ अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा, उनको स्वतः अनुपस्थित मानते हुये अनुपस्थित अवधि का वेतन आहरित न किये जाने तथा किसी भी कार्मिक को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अवकाश स्वीकृत न किये सम्बन्धी निर्देश जारी करना।
- 4— हड़ताल/कार्य बहिष्कार की अवधि में हड़ताल/आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों की नामावली की सूची, हड़ताल/आन्दोलन कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन प्रातः 10:30 तक सम्बन्धित महाप्रबन्धक अपने निदेशकों के माध्यम से निदेशक (मा०सं०)/अधिशासी निदेशक(मा०सं०) को फैक्स/डी०एम०एस/ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 5— हड़ताल/कार्य बहिष्कार की अवधि में विद्युत गृहों/कार्य स्थलों/कार्मिकों की सुरक्षा एवं सामान्य कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित महाप्रबन्धकों द्वारा जिला/स्थानीय प्रशासन से किये गये अनुरोध के क्रम में राज्य पुलिस महानिदेशक से अग्निशमन एवं आपदा प्रबन्धन, पुलिस बल की उपलब्धता आदि हेतु नियम के सक्षम स्तर से शासन के माध्यम से आवश्यक पत्राचार एवं समन्वय स्थापित करना।


13/08/21
(Rajendra Singh)
Executive Director (HR)
UJVN Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun